प्रेस नोट दिनांक- 28.04.2025

कोतवाली व जनपद-चन्दौली

▶ कोतवाली चन्दौली द्वारा हरियाणा प्रान्त से बिहार राज्य में ले जाकर बिक्री के लिए रखी गयी 207 लीटर अवैध शराब बरामद

▶ अवैध शराब के साथ 02 शातिर तस्कर को किया गया गिरफ्तार

▶ अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 04 लाख रुपये

श्री मोहित गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देशन में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध शराब के परिवहन/तस्करी व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजेश कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कोडरिया में एक मकान में अवैध शराब स्टोर करके रखी गय़ी है।

उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा ग्राम कोडरिया पहुँचकर मुखबिर द्वारा बताये गये मकान की घेराबंदी की गयी कि तो कमरे के अंदर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों की पहचान 1.आकाश कटारिया उर्फ काशी पुत्र सुनील कटारिया नि0 804/25 वेस्ट रामनगर थाना सिटी जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष, 2.आशीष सिंह उर्फ बोलबम् सिंह पुत्र मंगला सिंह नि0 कोडरिया थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई। कमरे की तलाशी ली गयी तो कमरे में लकड़ी और उपले रखे गये थे लकड़ी और उपले को हटाकर चेक किया गया तो 09 नयी बोरियाँ पीले रंग की बरामद की गयी। सभी बोरियों को खोलकर चेक किया गया तो कुल रायल स्टेज प्रीमियर विस्की सेल इन हरियाणा की 750 एमएल की 168 बोतल व 375 एमएल की 216 बोतलें बरामद की गयी बरामद शराब की कुल मात्रा लगभग 207 लीटर है। बरामद शराब के विषय में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त बरामद शराब को आकाश कटारिया ने हरियाणा राज्य से जूमकार से आनलाइन गाड़ी बुक करके लाया था जिसे आज रात्रि में बिहार राज्य में ले जाकर बेच देनें की तैयारी थी।

साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तो द्वारा 01 टाटा पंच वाहन के बारे में बताया जो ग्राम कोडरिया से बाहर एक भट्ठे के पास खड़ी है। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा वाहन को बरामद कर पर्याप्त वाहन दस्तावेज ना उपलब्ध कराये जाने पर पुलिस टीम द्वारा सीज कर दिया गया है।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-93/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1-आकाश कटारिया उर्फ काशी पुत्र सुनील कटारिया नि0 804/25 वेस्ट रामनगर थाना सिटी जनपद सोनीपत हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष

2-आशीष सिंह उर्फ बोलबम् सिंह पुत्र मंगला सिंह नि0 कोडरिया थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 30 वर्ष

विवरण बरामदगीः-

1. 750 मिली की कुल 168 बोतल
2. 375 मिली की कुल 216 बोतले

प्रत्येक बोतल ROYAL STAG PREMIER WHISKY FOR SALE IN HARYANA ONLY (कुल मात्रा 207 लीटर कीमत करीब 4 लाख रुपये)

गिरफ्तारी का स्थानः- ग्राम कोडरिया समय 16.30 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. राजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर चन्दौली।
2. उ0नि0 रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी हाईवे मण्डी थाना चन्दौली
3. उ0नि0 राजेश सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
4. उ0नि0 राजेन्द्र यादव थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।
5. हे0का0 अनिल कुमार थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।